आखिरी जांच: 21 अक्टूबर 2026 · District Industries Centre, Industries and Commerce Department, Government of Puducherry

Grant of Margin Money for Availing Capital Loan (Development of Coir), Puducherry

पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में नई कॉयर इकाई लगाने या मौजूदा इकाई का नवीनीकरण करने वालों को बैंक ऋण पर 25% मार्जिन मनी देता है।

क्या मिल सकता है

बैंक से ऋण मंजूर होने पर ऋण राशि का 25% मार्जिन मनी उद्यमी की ओर से बैंक को जारी किया जाता है। सीमा Rs 25 लाख है, जो Rs 1 करोड़ की परियोजना की राशि है।

किसके लिए है

पुडुचेरी में बैंक या वित्तीय संस्था के ऋण से नया कॉयर उद्योग लगाने या मौजूदा का नवीनीकरण करने वाले उद्यमी।

मुख्य शर्तें

- इकाई केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में लगाई जाए।
- आपको वित्तीय संस्था के ऋण की मंजूरी का पत्र दिखाना होगा।
- मार्जिन मनी जारी होने के छह महीने के भीतर इकाई में व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाए।
- आपको लिखित वचन देना होगा कि इकाई स्थापित होने के बाद 5 साल तक उसे सफलतापूर्वक चलाएंगे।

दस्तावेज़

- वित्तीय संस्था का ऋण मंजूरी पत्र
- इकाई 5 साल चलाने का वचन पत्र

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://dic.py.gov.in/development-of-coir
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/puducherry/py-coir-margin-money-capital-loan/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।